

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक:—प.3(348)नवि/3/2013

जयपुर, दिनांक:

13 DEC 2013

सचिव,
नगर विकास न्यास,
भिवाड़ी।

विषय:— श्री लीलाराम पुत्र श्री मामचन्द, श्री मानाराम पुत्र श्री खैराती लाल पुत्र श्री छंगाराम, श्री धर्माचन्द पुत्र श्री ताराचन्द, श्री रामवतार पुत्र श्री ताराचन्द, श्री निहालसिंह पुत्र श्री ताराचन्द, श्री वीरेन्द्र कुमार पुत्र श्री ताराचन्द व धर्मेन्द्र यादव पुत्र श्री ताराचन्द निवासीयान ग्राम खिजूरीवास तह0 तिजारा जिला अलवर जरिये मु0आम श्री विवेक जैन पुत्र श्री महेन्द्र कुमार जैन, दिल्ली द्वारा ग्राम खिजूरीवास तह0 तिजारा के खसरा नं0 1346/1285, 1345/1285, 1350/1262, 1351/1262, 1360/333, 1361/333, 1362/333, 1363/333, 1377/334, 1378/334, 335, 1379/1244, 1380/1244, 1352/338, 1353/338, 1354/339, 1355/339, 1356/340, 1357/340, 1358/340, 1359/340, 1375/341, 1376/341, 1388/1252, 1389/1252 कुल किता 25 कुल रकबा 12.52 हैक्टेयर भूमि में से 118830 वर्गमीटर भूमि के आवासीय परियोजना भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत। भूमि में से EWS/LIG एवं 48.50मीटर उंचाई तक के भवन मानचित्र स्वीकृति बाबत।

संदर्भ:— आपका पत्रांक 10204/13 दिनांक 07.11.2013

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके संदर्भित पत्र द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के क्रम में राज्य सरकार द्वारा सक्षम स्तर पर लिए गए निर्णयानुसार न्यास के प्रस्तावानुसार न्यास की भवन मानचित्र समिति द्वारा प्रकरण में लिये गये निर्णय में अंकित शर्तों के अनुसार प्रस्तावित भवन की उंचाई 48.50 मीटर किये जाने तथा पूर्व में अन्य प्रकरणों में ई.डब्ल्यू. एस./एल.आई.जी. आवासों हेतु दी गई स्वीकृति के अनुरूप मानचित्र अनुमोदन किये जाने की राज्य सरकार की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(उज्ज्वल राठी)

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय